सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 4/17 निर्णय दिनांकः— 12.3.2018

1. गोरधनसिंह पुत्र पीरदानसिंह जाति राजपूत निवासी 3 जीएसएम डण्डरला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

— अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 22—03—1988
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः—
1. श्री राधाकिसन स्वामी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 22—03—1988 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने साक्ष्य के अभाव मे खारिज किया गया है के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांटद्वारा तहसील कोलायत में वर्ष 1988 में सिलिंग सरप्लस में भूमि आवंटन के तहत भूमि आवंटन के लिए श्रीमान् सहायक आयुक्त

उपनिवेशन, कोलायत के समक्ष आवंटन हेतु आवंटन कराने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा आवंटन मात्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट द्वारा एकीकृत ग्रामीण योजना के अन्तर्गत चयनित होने का प्रमाण पत्र व सेना व सीमा सुरक्षा बल के सदस्य जिसने सेना या सीमा बल में कम से कम 5 वर्ष तक सेवा दी है तथा कनिश्नर अफसर नहीं है के बाबत् सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। अदालत मातहत द्वारा एकतरफा तौर पर बिना कोई नोटिस व सूनवाई का अवसर प्रदान किये आदेश जैर अपील पारित किया गया है, जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22—03—1988 के विरूद्व अपील दिनांक 06—12—17 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट द्वारा अपने आंवटन प्रार्थना पत्र के साथ वांछित सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है। लिहाजा अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 22—03—1988 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 6—12—2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसकेखण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने वर्ष 1998 में सिलिंग सरप्लस में भूमि आवंटन के तहत भूमि आवांटन के लिए अदालत मातहत के समक्ष आवंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कर बतौर भूमिहीन श्रेणी में आवंटन की इस्तदुआ की गई थी। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ एकीकृत ग्रामीण योजना के अन्तर्गत चयनित होने का प्रमाण पत्र व सेना व सीमा सुरक्षा बल के सदस्य जिसने सेना या सीमा बल में कम से कम 5 वर्ष तक सेवा दी है तथा कनिश्नर अफसर नहीं है के बाबत् सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है। जबकि उक्त प्रार्थना पत्र आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना अपरिहार्य था।

(3) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जॉच की गई व उक्त प्रार्थना पत्र की जॉच उपरान्त पाया गया कि अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ वांछित सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/प्रार्थी को बतौर भूमिहीन श्रेणी में बारानी भूमि आवंटन के पात्र होना नहीं पाये जाने के कारण अपीलांट/प्रार्थी का अवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। चूंकि अपीलांट/प्रार्थी द्वारा उक्त सबूत अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किये गये है इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटन

आदेश प्राप्त करने का इच्छुक नहीं रहा है। अदालत मातहत द्वारा आवेदक के उपस्थित नहीं होने व सबूतों के अभाव में अपीलांट का आवंटन आदेश खारिज किया गया है। जो विधि सम्मत है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत का आदेश दिनांक 22–03–1988 बहाल रखा जता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12.03.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर